



यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कमर्सियल कॉम्प्लेक्स, ब्लाक पी-2, सै0-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा, सिटी-201308 जनपद-गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्रांक-वाई.ई.ए./नियोजन/749/2024

दिनांक- 08-11-2024

सेवा में,

M/s Presidency Infraheights Pvt. Ltd.
2201, 2nd Floor, Express Trade Tower-2 (ETT-2)
Sector-132 Noida-201301

विषय-भूखण्ड संख्या-GH-F-2, सैक्टर- 25 (SDZ) पर स्वीकृत भवन मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अपने आवेदन दिनांक-16.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भूखण्ड संख्या-GH-F-2, सैक्टर- 25 (SDZ) पर स्वीकृत भवन मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में है। स्वीकृत भवन मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत पत्रों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भूखण्ड संख्या-GH-F-2, सैक्टर- 25 (SDZ) पर स्वीकृत भवन मानचित्रों की वैधता दिनांक-11.07.2023 से दिनांक-10.07.2028 तक पुनर्वैधीकरण निम्न शर्तों के साथ किया जा रहा है:-

1. संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये शपथ के अनुसार भूखण्ड के सापेक्ष अतिरिक्त प्रतिकर के मद में समस्त देयता कम्प्लीशन से पूर्व जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही यदि कोई अन्य देयता बनती है, तो उसका भुगतान संस्था द्वारा किया जायेगा।
2. भूखण्ड पर कम्प्लीशन से पूर्व संस्था द्वारा श्रम विभाग में समस्त देयता जमा करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृत पत्र दिनांक-08.08.2014 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नक- पुनर्वैधीकरण मानचित्र की प्रति।

भवदीय,


08.11.2024
प्रभारी महाप्रबन्धक (नियोजन)

प्रतिलिपि:-

- महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रबन्धक -सम्पत्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी महाप्रबन्धक (नियोजन)